बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

अधि०सं० – मं०मं०–01/आर०–07/2007............................पटना, दिनांक– 2011

–:: संकल्प ::–

विषय :– **कृषि संबंधी मंत्रिपरिषदीय समिति का गठन।**

राज्य में कृषि प्रक्षेत्र के समग्र विकास के लिए कृषि रोड मैप का कार्यान्वयन किया जा रहा है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प संख्या–1717 एवं 1751 दिनांक–15/22 दिसम्बर, 2010 द्वारा सुशासन के कार्यक्रम (2010–15) निरूपित किये गये हैं। इस क्रम में कृषि प्रक्षेत्र से संबंधित विषयों पर विचार एवं निर्णय हेतु राज्य सरकार ने कार्यपालिका नियमावली के नियम 2 (ख) के तहत एक मंत्रिपरिषदीय समिति के गठन का निर्णय लिया है।

2.(क) कृषि संबंधी मंत्रिपरिषदीय समिति के निम्न सदस्य होंगे :–

I	माननीय मुख्यमंत्री	:–	अध्यक्ष
II	माननीय मंत्री, वित्त	:–	सदस्य
III	माननीय मंत्री, कृषि	:–	सदस्य
IV	माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन	:–	सदस्य
V	माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग	:–	सदस्य
VI	माननीय मंत्री, उद्योग	:–	सदस्य
VII	माननीय मंत्री, सहकारिता	:–	सदस्य
VIII	माननीय मंत्री, जल संसाधन	:–	सदस्य
IX	माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन	:–	सदस्य
X	माननीय मंत्री, ऊर्जा	:–	सदस्य
XI	माननीय मंत्री, योजना एवं विकास	:–	सदस्य
XII	माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार	:–	सदस्य
XIII	माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास	:–	सदस्य
XIV	माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य	:–	सदस्य
XV	माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	:–	सदस्य
XVI	माननीय मंत्री, सूचना एवं प्रावैद्यिकी	:–	सदस्य
XVII	माननीय मंत्री, पंचायती राज	:–	सदस्य
XVIII	माननीय मंत्री, पर्यावरण एवं वन	:–	सदस्य

(ख) मंत्रिपरिषदीय समिति की बैठकों में राज्य योजना पर्षद के उपाध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री के कृषि सलाहकार विशेष आमंत्रित के रूप में भाग ले सकेंगे।

(ग) मुख्य सचिव मंत्रिपरिषदीय समिति के सचिव होंगे।

3. कृषि संबंधी मंत्रिपरिषदीय समिति कृषि रोड मैप तथा संगत कार्यकमों संबंधित कार्य योजना हेतु दिशा निदेश देगी तथा उनके प्रगति की समीक्षा करेंगी।

4. कृषि संबंधी मंत्रिपरिषदीय समिति को सचिवालीय सहायता मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

5. कृषि रोड मैप कार्यक्रम के अनुश्रवण के लिए मंत्रियों के समूह के गठन से संबंधित मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना सं०–609 दिनांक–15.04.09 को निरस्त किया जाता है।

आदेश :– **आदेश दिया जाता है कि इसे "बिहार गजट" में प्रकाशित कराया जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(रविकान्त)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– मं०मं०–01/आर०–07/2007..........................पटना, दिनांक– 2011

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(रविकान्त)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– मं०मं०–01/आर०–07/2007..........................पटना, दिनांक– 2011

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को (सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(रविकान्त)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– मं०मं०–01/आर०–07/2007..........................पटना, दिनांक– 2011

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/सभी माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अध्यक्ष, राज्य किसान आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(रविकान्त)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– मं०मं०–01/आर०–07/2007..........................पटना, दिनांक– 2011

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(रविकान्त)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– मं०मं०–01/आर०–07/2007.....508.....पटना, दिनांक– 14/4/2011

प्रतिलिपिः– सचिव, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार/अपर कृषि निदेशक (प्रसार), बिहार/निदेशक, उद्यान/निदेशक, भूमि संरक्षण/निदेशक, पी०पी०एम०/मुख्यालय के संबंधित पदाधिकारीगण/बजट शाखा एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(रविकान्त)
सरकार के प्रधान सचिव

D:\Cab | Systems\old file\Panday Jee.doc